>

Title: Need to provide adequate funds for setting up 'Model Schools' in Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : केन्द्र की मौजूदा सरकार ने देश के छह से चौदह साल तक के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए लोक सभा में कानून पारित किया है। जिससे देश के गांवों में रहने वाले गरीब बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार को कानूनी हक के रूप में दिया गया। प्रावधान किया गया कि देश के सभी राज्यों के विकास खंडों में एक-एक मॉडल स्कूल प्रथम चरण में खोला जाएगा। जो बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने शिक्षा के कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए खर्च को केन्द्र एवं राज्यों के बीच में 68:32 के अनुपात पर व्यय वहन का निर्णय लिया। जिस पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी मुहर भी लगा दी है। केन्द्र सरकार ने 13वें वित्त आयोग की ओर से राज्यों को मिलने वाली 24 हजार करोड़ को भी जोड़ दिया है। शिक्षा का अधिकार कानून को अमल में केन्द्र व राज्यों के बीच खर्च के बंटवारे पर वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार संसाधनों की कमी को दर्शा करके उक्त शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए तैयार नहीं है जिससे शिक्षा के मिले कानूनी अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर एक वक्तव्य चाहता हूँ।